



न्यायालय राजस्व मण्डल, मोप्र०ग्वालियर

प्र०क० -दो/२०१६ निगरानी

मिति - २०२५- II/६

- 1- दयाराम पुत्र श्रीपत जाति नाहिया
 - 2- रामसिंह पुत्र बैताल सिंह यादव
 - 3- श्रीमती पार्वती (मृतक) पत्नि रामप्रसाद अडियल
वारिस बीरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद अडियल
 - 4- बृजलाल पुत्र मगनलाल बैमटे
 - 5- मोहित पुत्र आजाद यादव
 - 6- नंदकिशोर पुत्र घासीराम जाटव
 - 7- गिरीश पुत्र मूलचंद गोस्वामी
 - 8- देवीसिंह, वृखा, रामदास
पुत्रगण हरभान गङ्गारिया
 - 9- कुठोमीना पुत्री जगदीश खेंगार
 - 10- बाबरिया पुत्र बंशीलाल जाटव
 - 11- मोमराज पुत्र मनोहरीलाल जाटव
 - 12- पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सरमान सिंह यादव
 - 13- खेलराम पुत्र चिंदूराम यादव
- सभी निवासी ग्राम उठवाहा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

—आवेदकगण

- विरुद्ध
- 1- मध्य प्रदेश शासन व्यारा कलेक्टर
 - 2- नायव तहसीलदार, वृत्त दिनारा
तहसील करैरा जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश
- अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा ५०, मोप्र०भू राजस्व संहिता,
१९५९ - नायव तहसीलदार वृत्त दिनारा तहसील करैरा
व्यारा प्रकरण क्रमांक २१/२०१४-१५ अ-६-अ में पारित
आदेश दिनांक ७-६-२०१६ के विरुद्ध)

क०प०३०--२

मृग्नि

क्रमांक(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2025-दो/2016 निगरानी

जिला शिवपुरी

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्ष		
क्रमांक	तिथि		
यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त-2 दिनारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 21/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दिनोंक 7-6-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्ष		
2/ प्रकरण का सारोंश है कि निम्नानुसार कृषक शासकीय अभिलेख में वर्ष 1992-93 में दिये गये पट्ठों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज चले आ रहे हैं :-			
क्रमांक	नाम कृषक	संख्या	रकमा है.में
1	दयाराम पुत्र श्रीपत नाडिया	141/9	2.00
2	रामसिंह पुत्र वेतालसिंह यादव	140/1	1.05
3	श्रीमती पार्वती(मृतक)पत्नि रामप्रसाद वारिस बीरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद	141/8	2.00
4	बृजलाल पुत्र मणगनलाल बैमटे	141/6	2.00
5	मोहित पुत्र आजाद यादव	141/11	1.22
6	लंदकिशोर पुत्र घासीराम जाटव	141/7	2.00
7	गिरीश पुत्र मूलचंद गोस्वामी	141/2	3.00
8	देवीसिंह, वृखा, रामदास पृत्रगण हरभान गङ्गरिया	141 मिन	2.00
9	दुर्गमीना पुत्री जगदीश खेंगार	141/5	2.00
10	बाबरिया पुत्र बंशीलाल जाटव	141/1	2.00
11	गोमराज पुत्र मनोहरी जाटव	141/10	1.70
12	पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र सरभान यादव	141/12	1.00
13	खेलराम पुत्र चिन्दूराम यादव	141 मिन	2.00

प्र०क० 2025-दो/2016 निगरानी

उपरोक्त कृषकों को नायव तहसीलदार वृत्त-2 दिनारा ने कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25-1-16 जारी किया एवं प्र०क० 21/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश दि० 7-6-2014 से म०प्र०भू राजस्व संहिता की धारा 115,116 के तहत वादग्रस्त भूमियों को शासकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक तथा शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि तत्कालीन तहसीलदार करैरा ने आवेदकगण को वर्ष 1992-93 में विधिवत् पट्टै प्रदान किये हैं पट्टा प्रदान करने के बाद राजस्व निरीक्षक/पटवारी ने मौके पर रीमांकन करके कब्जा दिया है। सभी आवेदकगणों के प्रकरण दायर पंजी में दर्ज हैं। पट्टा प्राप्ति के बाद से आवेदकगण भूमिस्थानी की हैसियत से शासकीय अभिलेख में निरन्तर दर्ज हैं। तहसील कार्यालय से सभी पट्टाग्रहीताओं को भू अधिकार ऋण पुस्तिकार्ये प्रदान की है। नायव तहसीलदार द्वारा लगभग 25 वर्ष बाद जाकर फर्जी पट्टे एवं शासकीय अभिलेख में प्रविष्टि करना उल्लेखित कर आवेदकगण की भूमि शासकीय घोषित करने में चृटि की है उन्होंने निगरानी स्वीकर करने की मांग की।

शासन के पैनल लायर ने बताया कि नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस देकर

(C)(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश गवालियर

प्रकरण क्रमांक 2025-दो/2016 निगरानी

जिला शिवपुरी

पक्ष तथा अधिकारी	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है किन्तु आवेदकगण अपने पक्ष में अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके कारण नायव तहसीलदार ने पट्टा वितरण की कार्यवाही संदिग्ध मानी है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।	
	5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसील व्यायालय करैरा से दायरा रजिस्टर वर्ष 1992-93 की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की गई है जिसके सरल क्रमांक 38 से 42 पर 243,245,246, 295,297 पर आवेदकगण के पट्टों के प्रकरण दायर है। अतः नायव तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 7-6-16 के पद 6 में यह अंकित करना कि प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज तो है किन्तु उनके प्रकरण व्यायालय में नहीं पाये गये, जिससे प्रविष्टि प्रथम दृष्ट्या अवैध होना प्रतीत होती है। नायव तहसीलदार यह निष्कर्ष उचित नहीं है।	
	1. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 114- शासकीय रिकार्ड अथवा अभिलेख अद्यतन एंव सुरक्षित संग्रहे की जिम्मेदारी यजूद उन्नीसवें अंशों की है टिकार्ड उद्दल व संग्रहे का उपयोग कृषकों को नहीं भुगताया जा सकता।	
	2. खसरा प्रविष्टि में भूमिस्वामी की प्रविष्टि निरक्तर - उसके सही होने की उपधारणा की जायेगी - जब तक अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाय।	

प्र.क. 2025-दो/2016 निगरानी

विचाराधीन प्रकरण में आवेदकगण को जारी पट्टों के प्रकरण दायरा रजिस्टर में पंजीबद्ध होना प्रमाणित है। तहसील के दायरा रजिस्टर में कृषक फर्जी प्रविष्टि कर सकेगा, संभव नहीं है क्योंकि वर्ष 1992-93 से निरन्तर वर्ष 2015-16 तक उपरोक्त कृषकगण खसरा में भूमिस्वामी की हैसियत से है ऐसे कृषकों के अधिकार छीने नहीं जा सकते। इस सम्बन्ध नायव तहसीलदार व्यारा आदेश दिनांक 7-6-16 में निकाला गया निष्कर्ष वास्तविकता के विपरीत एंव त्रुटिपूर्ण है।

6/ प्रकरण में यह भी विचार योग्य है कि क्या आवेदकगण के हित में प्रकरण क्रमांक 38 से 42, 243, 245, 246, 295, 297 अ-19/1992-93 से जारी किये गये पट्टे एंव आवेदकगण के नाम वर्ष 1992-93 से वर्ष 2015-16 तक खसरों में निरन्तर भूमिस्वामी की हैसियत से चली आ रही प्रविष्टि को लगभग 25 साल वाद नायव तहसीलदार पट्टा आदेश एंव प्रविष्टि निरस्त करने हेतु सक्षम हैं।

1. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 50- तत्का.

तहसीलदार व्यारा जारी पट्टा आदेश - समकक्ष अधिकारी को पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है।

2. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा 115- लगभग 25 साल पूर्व तहसीलदार ने पट्टा आदेश दिये, तदनुसार पट्टों का अमल शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी की हैसियत निरन्तर अभिलिखित - नायव तहसीलदार संहिता की धारा 115 के अधीन 25 वर्ष वाद प्रविष्टि दुरुस्त करने हेतु सक्षम नहीं है।

प्रकरण में आये अभिलेख से पाया गया कि आवेदकगण

Ex(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश गवालियर

प्रकरण क्रमांक 2025-दो/2016 निगरानी

जिला शिवपुरी

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>के हित में उनके खाते की भूमियों पर तहसीलदार द्वारा भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिकार्यों जारी की हैं जो प्रमाण में प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है कि 25 वर्ष से शासकीय अभिलेख में निरन्तर दर्ज चले आ रहे भूमिस्वामियों की भूमि को नायब तहसीलदार ने शासकीय दर्ज करने के आदेश पारित करने में भूल की है।</p>	
<p>7/ नायब तहसीलदार वृत्त-2 दिवारा के प्रकरण क्रमांक 21/2014-15 अ-6-अ के अवलोकन पर पाया गया कि नायब तहसीलदार ने वर्ष 2014-15 में आवेदकगण के विलङ्घ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, तब उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस इस प्रकरण नम्बर से जारी न करते हुये क्रमांक व्यू/रीडर/फर्जी प्रविष्टि/पठटे/जॉच/2015 दिनांक 25-1-16 से क्यों जारी किये हैं शासन के पैनल लायर समाधान नहीं करा सके। इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के विलङ्घ की गई कार्यवाही विधि एंव प्रक्रिया अनुसार नहीं है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-6-16 संदेह की परिधि है।</p> <p>8/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदकगण ने वर्ष 1992-93 में पटठा प्राप्ति के बाद वादग्रस्त भूमि को उबड़ खाबड़ से समतल बनाया है एंव</p>	

8
मा

MM

प्र०क० 2025-दो/2016 निगरानी

सिंचाई के साधन किये हैं तथा खेतों पर मेडे बनाकर बंधान आदि भी बनाने में काफी धन व श्रम खर्च किया है। उन्होंने यह भी बताया कि नायव तहसीलदार के कहने पर राजस्व निरीक्षक एंव हलका पठवारी ने चालू वर्ष में भूमि को हॉकने-जोतने नहीं दी एंव फसल बुबाई रोक देने से भूमि पड़त करवा दी। यदि आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -

1. बबीतारानी बनाम भगवतीवाई 2006 (2) म०प्र०ल००ज० 45 (म.प्र.) में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया था। इस अवधि के अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
2. याची व्दा 2 हैक्टर भूमि आवंटन में प्राप्त कर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त किया, 13-14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गई। म०प्र० उच्च न्यायालय व्दा 2 अभिमत दिया गया कि प्रत्यर्थी क. 1, 2 को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने निर्णय देने में त्रुटि की है। काशीराम विलद्ध हरीराम 2008(1) MPLJ 282 (M.P.)= 2008 (1) M.P.H.T. 170
3. इन्द्र सिंह तथा अन्य विलद्ध म०प्र०राज्य 2009 रा०नि० 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती - क्योंकि

(M)

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश गवालियर

प्रकरण क्रमांक 2025-दो/2016 निगरानी

जिला शिवपुरी

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	<p>सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गतियों की गई - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।</p>	
4.	<p>देवी प्रसाद विलद्ध नामे 1975 J.L.J. 155= 1975 R.N. 67 = 1975 R.N. 208 में निर्धारित किया गया है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिती को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदकगण वर्ष 1992-93 से वर्ष 2015-16 तक शासकीय अभिलेख में निरन्तर भूमिस्वामी दर्ज चले आ रहे हैं क्योंकि पठटा प्राप्ति उपरांत 10 वर्ष तक निरन्तर खेती करने एंव पठटे की शर्तों का पालन करने के कारण वह रिकार्ड भूमिस्वामी अंकित हुये हैं जिसके कारण आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के उपयोग हेतु प्रत्येक प्रकार से स्वतंत्र हैं एंव ऐसे कृषकों के अधिकारों में दखलन्दाजी करना उचित नहीं है। परन्तु नायव तहसीलदार वृत्त-2 दिनारा ने प्रकरण क्रमांक 21/2014-15 अ-6-अ में आदेश दिनांक 7-6-16 पारित करते हुये उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।</p> <p>9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार</p>	(M)

10

प्र०क० 2025-दो/2016 निगरानी

वृत्त -2 दिनारा तहसील करैया जिला शिवपुरी ब्दारा
प्रकरण क्रमांक 21/2014-15 अ-6-अ में पारित आदेश
दिनांक 7-6-2016 तृटिपूर्ण होने से बिरस्त किया जाता
है एवं नायव तहसीलदार वृत्त-2 दिनारा को निर्देश दिये
जाते हैं कि आवेदकगण के नाम की शासकीय अभिलेख
में चली आई भूमिस्वामी वावत् प्रविष्टि पूर्ववत् दर्ज कराई
जाय।



सदस्य